न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP.1997
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2226/2026
UPBJ010058232026
लियाकत बनाम सरकार

दिनांकः–21.07.2026

1– यह प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत अभियुक्त **लियाकत** पुत्र स्व0 हबीबशाह निवासी मौ0 इस्लामाबाद कस्बा झालू थाना हल्दौर जि ला बिजनौर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 183/2025, सत्र परीक्षण सं0 2586/2025 अन्तर्गत धारा 109(1) बी0एन0एस0 थाना हल्दौर जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो कि शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रहीस द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी की लड़की शबाना की शादी लियाकत पुत्र हनिन निवासी झालू से एक साल पहले हुई थी। दिनॉक 15–07–2025 की शादम 05:00 बजे उसकी लड़की का फोन उसके पास आया कि लियाकत ने उसे मारने की नियत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया है, उसने बताया कि लियाकत के चाचा शरीफ ने भी लियाकत की मदद की है। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना हल्दौर जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या–183/2025, अन्तर्गत धारा 109(1),61(2)(ए) बी0एन0एस0 का अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में गलत तौर पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 02 दिन 05 घन्टे विलम्ब से लिखायी गयी है, एफ0आई0आर0 में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी दिनॉक 27–08–2025 से जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। मैडिकल रिपोर्ट में वर्णित चोटे साधारण प्रकृति की है। धारा 109(1) बी0एन0एस0 का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी व उसकी पत्नी केक बीच का विवाद दिखाया गया है प्रार्थी की पत्नी ने प्रार्थी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखाया है, मुकदमा प्रार्थी के ससुर ने लिखाया है। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया कि अभियुक्त पर अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से चाकू से मारपीट करके चोटे पहुॅचाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– इस प्रकरण में यह अभिकथित किया गया है कि चुटैल व अभियुक्त के मध्य, जो कि पति पत्नी हैं, पैसो को लेकर विवाद हो गया था तथा गुस्से में अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया जो उसके गले पर लगा। यह भी अभिकथित किया गया है कि चुटैल को किसी सरकारी अस्पताल में उपचार हेतु नहीं ले जाया गया है, क्योंकि पत्रावली पर सरकारी अस्पताल का कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एम्स हास्पिटल झालू के डिस्चार्ज पत्र और प्रेसक्रिप्शन स्लिप हैं, जहॉ चुटैल का उपचार किया गया है। यह भी अभिकथित किया

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.22 16:34:27 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है कि मामला पति पत्नी के मध्य पैसो को लेकर आपसी विवाद से सम्बन्धित है। चुटैल को वर्तमान में भर्ती रहकर उपचाराधीन होना भी नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनॉक 27–08–2025 से जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा वादी का बयान भी न्यायालय में अंकित किया जा चुका है।

7– अतः अभियुक्त की जिला कारागार में निरूद्धता की अवधि व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणदोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **लियाकत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–,50,000/–(पचास–पचास हजार)** रुपये की दो विश्वसनीय जमानतें तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र, दाखिल करने पर, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार VII)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।
21–07–2026